भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1347
बुधवार, 11 फरवरी, 2026 (22 माघ 1947 (शक)को उत्तरार्थ

स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत सहकारिताओं को ऋण

1347 # श्रीमती संगीता यादवः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) स्वास्थ्य क्षेत्र की सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सहकारिताओं को संवितरित वित्तीय सहायता और उनके द्वारा की गई गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) एनसीडीसी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निगम है, ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अधिदेश के संरेखन के साथ आयुष्मान सहकार योजना को अधिसूचित किया है । इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सीय शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पाराचिकित्सीय शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष सहित समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है । यह योजना स्वास्थ्य देखभाल में कार्यरत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय में सामुदायिक स्वामित्व, भागीदारी और जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है ।

(ख) विगत तीन वर्षों में स्वास्थ्य सहकारी समितियों को संवितरित राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्योरा निम्नानुसार है –

(लाख रुपये)

वर्ष	**राज्य**	**कार्यकलाप**	**संवितरित धनराशि**
2022-23	तमिलनाडु	अस्पताल का विस्तार	51.84
2023-24	केरल	न्यूरोलॉजी विभाग और ट्रॉमा देखभाल केंद्र की स्थापना	275.00
2024-25	केरल	नैदानिक केंद्र की स्थापना	97.75
		कुल	**424.59**

(ग) एनसीडीसी अपने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और 9 उपकार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की सक्रियतापूर्वक निगरानी करता है और स्वास्थ्य देखभाल सहकारी समितियों को समयबद्ध ऋण प्रवाह की सुगमता सुनिश्चित करता है । एनसीडीसी द्वारा ऋण संवितरण की उचित निगरानी के लिए समय-समय पर फील्ड दौरे/निरीक्षण किए जाते हैं ।
